

N O C

Copy of NOC - Page-1

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल
परलक्ष्म भवन भोपाल- 462004
:: अनायास प्रमाण पत्र ::

भोपाल, दिनांक 30 - 12-2003

प्रमाण पत्र 73- 70 /20-2/2003 का प्रमाण पत्र श्री राम शिवाजी प्रतिष्ठान, झांझार में स्थापित
है। इस प्रतिष्ठान में छात्रों को विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत सन् 2000-2001 से
सन् 2003/2004 तक शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रमाण पत्र
प्रदान करता है।

2. यह कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद परिसर
देशीय समिति भोपाल से मान्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

3/- एनोताटी 0ई मान्यता के अंतर्गत एक वर्षीय B.A/B.S/B.Com/B.A/B.S/B.Com/B.A/B.S/B.Com
प्रवेश प्रीट B.A/B.S/B.Com नियमावली के आधार पर प्रीट B.A/B.S/B.Com
परिक्षा में प्राप्ति के आधार पर दिया जायेगा। यदि नियमों के अंतर्गत प्रवेश दिया
जाता है तो उत्तर समस्त जिम्मेदारी प्रवेश देने वाले महाविद्यालय की होगी एवं
इस मान्यता को खत्म कर दी जायेगी।

4. अनायास प्रमाण पत्र इस आधार पर दिया जाता है कि इस कोर्स के
लिए राज्य शासन से कोई अनुदान एवं सहायता नहीं दी जायेगी।

5. निर्धारित शर्तों की पूर्ति न कर सकने की स्थिति में अनायास प्रमाण पत्र
रद्द कर निरस्त हो जायेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

अवर सचिव

प्रमाण पत्र 73- 70 /20-2/2003 का प्रमाण पत्र श्री राम शिवाजी प्रतिष्ठान, झांझार में स्थापित
भोपाल, दिनांक 30 - 12-2003

प्रतिनिधि:- 1. अधीक्षक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल
2. क्षेत्रीय निदेश, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, देशीय समिति, ग्यामला
भोपाल

उपस्था के संबंधित अध्यक्ष/सचिव सुनायें साहेब अम्बेडकर
महाविद्यालय के ताल

अवर सचिव
30/12/03

भोपाल शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
गोपाल

दिनांक एम-8/69/04/सीसी/अद्वितीय
प्रति,

गोपाल, विनय

कुलसचिव,
महाराष्ट्र शासन विभागाध्यक्ष,
गोपाल।म.प्र.।

विषय:- बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र ।
संदर्भ:- अध्यक्ष, बीराम शिक्षा परिषद, विनय वी.एम.प. दिनांक 13/15/7/74

---xx---

उपरोक्त विषय में अध्यक्ष, बीराम शिक्षा परिषद, विनय द्वारा संलग्नित शीमट में
अध्यक्ष शिक्षा महाविद्यालय, विनय में स्त-04-05 से विनय में बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने
हेतु शासन से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रदान करने का अनुरोध किया है । उपरोक्त शीमट की
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वन प. डब्ल्यू.आर. सी./2-32/61/04/2393,
दिनांक 7 जुलाई 04 द्वारा स्त 04-05 के लिए बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए 100 सीटों के
साथ स्त 04-05 के लिए अनुमति दी गई है । इसी प्रकार कुल शिक्षा विभाग में वन
प.एम-73-70/20-2/03, दिनांक 30.12.03 द्वारा स्त-04-05 से बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु
अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया है ।

उपरोक्त संस्था यदि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित
मापदण्ड पूर्ण करती है एवं विनय में स्त-04-05 से बी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करती है तो
विभाग की कोई आपत्ति नहीं है । निर्धारित मापदण्ड पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का होगा । यह निर्धारित अनापत्ति प्रमाणपत्र
केवल विभागाध्यक्ष से संबंधित प्राप्त करने के लिए जारी किया जा रहा है । किसी
भी तरह की गलत जानकारी के लिए संस्था के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे ।

[हस्ताक्षर/सहस्रहस्ताक्षर]

अवर सचिव

पु.प. 8/69/04/सीसी/अद्वितीय 730
प्रतिनिधि:-

मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
गोपाल, दिनांक 23/12/74

1. संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, गुरुदासगढ़, गोपाल ।
2. अतिरिक्त संचालक, कार्यविधि आदेश, वन शिक्षा शाखा-13, गोपाल ।
3. अध्यक्ष, बीराम शिक्षा परिषद, विनय वी.एम.प. सी. विनय साईन विनय वी.
और उपरोक्त पत्र के तारतम्य में सुचनाएं ।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल-462004

क्रमांक
प्रति,

/आउशि/संबद्ध/08

भोपाल, दिनांक-

अध्यक्ष, / सचिव,
श्रीराम शिक्षा परिषद
51, सिविल लाइन एच.बी.कालोनी
बेतूल म.प्र.

विषय:- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24(xii) एवं 26(एक)(v) एवं धारा 35(j) के अंतर्गत सत्र 2008-09 से बी.एड. (निरन्तरता) पाठ्यक्रम के लिये अनुशंसा प्रमाण-पत्र

संदर्भ:- संस्था का आवेदन पत्र दिनांक 24.5.08

उपरोक्त विषयांतर्गत संस्था का नाम श्रीराम शिक्षा परिषद बेतूल म.प्र. द्वारा संचालित -अशासकीय भीमराम रामराव अंबेडकर शिक्षा महाविद्यालय बेतूल को सत्र 2008-09 से निम्नानुसार कक्षाएँ/पाठ्यक्रम हेतु अनुमति/अनुशंसा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

विषय/पाठ्यक्रम
बी0एड0 (निरन्तरता)

2/ उक्त प्रदत्त अनुशंसा प्रमाण पत्र के आधार पर विश्वविद्यालय को आवेदन करें एवं विश्वविद्यालय से संबंधिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर 01 जुलाई, 2008 तक कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा में प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुशंसा प्रमाण पत्र स्वतः अमान्य माना जाएगा एवं इसके लिए पृथक से कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डॉ० मंजुला शर्मा)
अतिरिक्त संचालक
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश

क्रमांक 441 /आउशि/संबद्ध/07

भोपाल, दिनांक- 31/5/08

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ व योग्य आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल।
2. कुल सचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
3. क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, भोपाल-होशंगाबाद संभाग, भोपाल।
5. प्राचार्य भीमराम रामराव अंबेडकर शिक्षा महाविद्यालय चक्कर रोड अम्बेडकर वार्ड, बेतूल।

सहायक संचालक
उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश